# उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा से सम्बन्धित नई नीति

## पृष्ठभूमि

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि संख्या 66 के अनुसार, संसद उच्चतर शिक्षा हेतु अनुसंधान, एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थाओं में मानकों के निर्धारण तथा समन्वय के लिए कानून बनाने में सक्षम है। संसद ने इस जिम्मेवारी को सामान्यतः उच्चतर शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी), तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए आई सी टी ई) तथा अन्य विषयों के लिए अन्य सांविधिक निकायों के माध्यम से पूरा करने के लिए कानून बनाए है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उच्चतर शिक्षा के संबंध में अन्य के साथ–साथ निम्नलिखित दो उद्देश्यों के साथ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) अधिनियम, 1985 को लागू किया गयाः–

(क) जनसंख्या के बड़े भाग को उच्चतर शिक्षा हेतु अवसर प्रदान करना विशेषकर दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले वंचित वर्गो, प्रौढ़ों, गृहणियों तथा कार्यरत लोगो के लिए अवसर प्रदान करना, और

(ख) देश की प्रणाली में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना तथा ऐसी प्रणाली में मानकों का निर्धारण तथा समन्वय करना।

2. भारत में दूरस्थ शिक्षा या दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से शिक्षा का इतिहास तब से शुरू हुआ जब विश्वविद्यालयों ने अपने निदेशालय/पत्राचार शिक्षा स्कूलो के तहत पत्राचार पाट्यक्रमो के नाम से दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना शुरू किया। उन दिनो मानविकी और/या वाणिज्य संकायों में पत्राचार के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते थे तथा इन पाट्यक्रमों को उन लोगो द्वारा किया जाता था जो विभिन्न कारणों से जैसे नियमित पाठ्यक्रमों में सीमित सीटे होना, रोजगार, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की सुलभता की समस्या की वजह से परम्परागत 'कक्षा–कक्षों' में आमने–सामने बैठकर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में नामांकन नही पा सकते थे।

3. अभी हाल ही में, उच्चतर शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता की वजह से देश भर में उच्चतर शिक्षा की माँग में काफी वृद्धि हुई है, जबकि उच्चतर शिक्षा प्रणाली इस लगातार बढ़ती हुई माँग को पूरा नही कर सकती।

4. इन परिस्थितियों में समविश्वविद्यालयों, प्राइवेट विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक (सरकारी) विश्वविद्यालयों तथा अन्य प्रकार की संस्थाओं सहित कई संस्थाओं जो डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नही है ने विभिन्न स्तरों पर (प्रमाण–पत्र से अवर स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियाँ) मानविकी से इंजीनियरिंग एवं प्रबन्धन इत्यादि तक जैसे कई विषयों में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करके स्थिति का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। इस बात का हमेशा ही खतरा बना रहेगा कि इनमें से कुछ संस्थाएं निम्न–स्तरीय/कम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके 'डिग्री प्रदान करने वाली मिले' बन सकती है जिसके परिणामस्वरूप दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाने वाली डिग्री एवं योग्यताओं की विश्वसनीयता समाप्त हो सकती है। इस वजह से सबंधित सांविधिक प्राधिकरणों मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा इसके प्राधिकरण दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डी ई सी) के बीच अत्यधिक समन्वय की आवश्यकता है।

5. भारत सरकार ने दिनांक 1.3.1995 की अपनी राजपत्र अधिसूचना संख्या 44 के माध्यम से रोजगार हेतु दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से प्राप्त की गई डिग्रियों की मान्यता के संबंध में अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है।

6. उपर्युक्त पैरा 4 में बताए गए खतरों के बावजूद गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने में दूरस्थ शिक्षा के महत्व को नकारा नही जा सकता। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की निम्न के लिए महत्वपूर्ण भूमिका हैः–

(i) काम करने वालो, गृहणियों इत्यादि जैसे उन लोगो को अध्ययन के अवसर प्रदान करना, जिन्हें आमने–सामने बैठकर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर सुलभ नही है।

(ii) कार्यरत व्यावसायिकों के ज्ञान को अद्यतन करने, उन्हे नए विषयों तथा व्यवसायों को अपनाने के योग्य बनाने तथा अपना कैरियर आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करना।

(iii) शिक्षण एवं अध्ययन प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) की संभावित क्षमता का उपयोग करना; और

(iv) 11वीं योजना अवधि के अन्त तक 15% सकल नामांकन अनुपात तथा 12 पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 20% के सकल नामांकन अनुपात को हासिल करना।

(7.) उच्चतर शिक्षा के लिए देश के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने तथा विभिन्न सांविधिक विनियामक प्राधिकरणों के बीच समन्वय सुनिश्चित करके उच्चतर शिक्षा के मानकों के निर्धारण तथा रख रखाव की संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए, दूरस्थ शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित नीति निर्धारित की गई है:–

(क) विभिन्न प्रणालियों (अर्थात आमने–सामने या दूरस्थ) के माध्यम से उच्चतर शिक्षा के विभिन्न विषयों के मानकों के विनियमन में उपयुक्त समन्वय सुनिश्चित करने के लिए तथा भारतीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों/डिप्लोमा और प्रमाण–पत्रों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए प्रो0 यशपाल समिति/राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों कें अनुरूप राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग के नाम से एक शीर्ष निकाय की स्थापना की जाएगी। उपरोक्त आयोग की मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा से सम्बन्धित एक स्थायी समिति, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा के मानकोंके निर्धारण तथा रख रखाव एवं समन्वय का कार्य करेगी। इस निकाय की स्थापना किए जाने तक––

(i) केवल उन कार्यक्रमों को ही जिनमे व्यापक रूप से प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम कार्य शामिल नही होते, दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से प्रदान किए जाने की अनुमति होगी।

(ii) विश्वविद्यालय/संस्था जैसा भी मामला हो, अध्यादेश/विनियमो/नियमो, को तैयार करेंगे जिनमे अपेक्षित क्रेडिटों की संख्या, प्रदान किए गए क्रेडिटो सहित, उन पाठ्क्रमों की सूची जिनमें क्रेडिट प्रदान किए जाते है, स्व–अध्ययन सामग्री के अतिरिक्त पठन संदर्भ, अध्ययन के घंटे, अध्ययन केन्द्रों में सम्पर्क कक्षाओं, परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रकिया, ग्रेडिंग इत्यादि को दर्शाते हुए दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूप रेखा को निर्धारित किया जाएंगा।

(iii) इग्नू की दूरस्थ परिषद द्वारा विशेषज्ञो की एक टीम विश्वविद्यालय/संस्था की क्षमता का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित करने के संबंध में ही

मूल्यांकन करेगी, जिसकी रिपोर्ट को डी ई सी की परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) अनुमोदन डी ई सी की परिसद् द्वारा विचार करने के उपरांत ही प्रदान किया जाएगा न कि अध्यक्ष, डी ई सी द्वारा। इस उद्देश्यार्थ, डी ई सी की न्यूनतम आवश्यक बैठको की संख्याँ को निर्धारित किया जा सकता है।

(v) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 20(1) के अन्तर्गत किसी संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कम्प्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन बी ए) द्वारा प्रत्यायित किया जाना सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाएगा।

(vi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को उनके सबंधित अधिनियमों की धारा 20(1) के अन्तर्गत उनके अधिदेश के तहत, दूरस्थ प्रणाली से प्रदान किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों हेतु मानक निर्धारित करने वाले विस्तृत विनियमों को तैयार करने का निदेश दिया जाएगा।

(vii) संसद/राज्य विद्यानमण्डल के किसी अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन वर्ष 1985 से पहले स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों को छोड़कर कोई भी विश्वविद्यालय/संस्थान अब से दूरस्थ माध्यम से दूरस्थ शिक्षा परिषद् की अनुमति के बिना तथा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायन के बिना कोई कार्यक्रम प्रदान नही करेगा। तथापि, वे विश्वविद्यालय/संस्था जो पहले से ही मानविकी, वाणिज्य/बिजनेस/सामाजिक विज्ञान/कम्प्यूटर विज्ञान तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन में कार्यक्रम प्रदान कर रहे है, वे इन्हे जारी रख सकते है, बशर्ते वे एक वर्ष के अन्दर नए सिरे से राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायन तथा डी ई सी से अनुमोदन प्राप्त कर लें, ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हे अपने कार्यक्रमों को बंद करना होगा तथा उनमे दाखिल विद्यार्थियोंके अकादमिक कैरियर तथा वित्तीय हानि का पूरा उतरदायित्व ऐसी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों का होगा।

(viii) उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के अलोक में, दूरस्थ शिक्षा हेतु किसी प्राधिकरण द्वारा पूर्व में प्रदान किया गया अनुमोदन आगे से मान्य तथा स्वीकृत नही होगा। तथापि, 1985 से पूर्व संसद के अधिनियम या राज्य विधानमण्डल द्वारा किसी अधिनियम द्वारा अथवा इसके तहत स्थापित विश्वविद्यालयों तथा वर्ष 1991 से पूर्व मानविकी/वाणिज्य/सामाजिक विज्ञान

विषयों में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान कर रहे विश्वविद्यालयों को इस नीति से बाहर रखा जाएगा।

(ix) वे विद्यार्थी जिन्हे दूरस्थ शिक्षा परिषद् और अन्य सांविधिक निकायों से पूर्व अनुमति लिए बिना ही दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से डिग्रियाँ प्रदान की जा चुकी है, उन्हे विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए यथा–निर्धारित पेपरो की परीक्षा में भाग लेने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा, बशर्ते वे विनियमो के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या अन्य प्रासंगिक सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा यथा–निर्धारित न्यूनतम स्तरों की आवश्यकता को पूरा करते हो। यदि ये विद्यार्थी इस परीक्षा को पास कर लेते है तो, सबंधित विश्वविद्यालय उन्हें एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत रोजगार/पदोन्नति के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त अर्हक प्रमाणपत्र सहित डिग्री को मान्यता प्रदान की जाए।

(x) दिनांक 1.3.1995 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 44 के संदर्भ में ऐसा स्पष्टीकरण जारी किया जाए कि यह मानविकी/वाणिज्य और सामाजिक विज्ञान के विषयों में 1985 से पहले संसद के अधिनियम या राज्य विधानमंडल के अन्तर्गत या द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों/डिप्लोमा पर लागू नहीं होगी।

(xi) उत्तरवर्ती पैराग्राफों में निर्धारित की गई नीति संबंधी पहल दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली/दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने की इच्छुक संस्थाओं पर समान रूप से लागू होंगी।

(ख) दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रम प्रदान करने वाले सभी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को ऐसे कार्यक्रम प्रदान करने के लिए पूर्व मान्यता/अनुमोदन की आवश्यकता होगी और उनके द्वारा प्रदान किए गए कार्यक्रमों के संबंध में विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी से प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वाले विश्वविद्यालय/संस्था को कानून द्वारा निर्धारित उपयुक्त दण्ड दिया जाएगा। दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को गलत/झूठी सूचना या जानबूझ कर सूचना छिपाकर विद्यार्थियों/लोगों को धोखा देने में शामिल हुआ पाए जाने पर, कानून के दण्ड प्रावधानों के अन्तर्गत उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।

(ग) अन्य शैक्षिक और प्रशासनिक सहायता प्राप्त करने से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने और आमने–सामने विचार–विमर्श हेतु विश्वविद्यालयों/संस्थानों के स्वयं के अध्ययन केन्द्र होंगे। किसी सार्वजनिक या निजी विश्वविद्यालय, संस्था को दूरस्थ शिक्षा के फ्रैंचाईज की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(घ) विश्वविद्यालय/संस्थाएं, दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से केवल ऐसे कार्यक्रम प्रदान करेंगे जो परम्परागत प्रणाली के माध्यम से उनके परिसरों में प्रदान किए जाते हैं। मुक्त विश्वविद्यालयों को दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से अपेक्षित कार्यक्रम प्रदान करने से पूर्व उन्हें अपेक्षित विभाग और संकाय रखना अनिवार्य होगा।

(ड.) दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाले सभी विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं की एक वेब पोर्टल या ऐसे किसी अन्य प्लेटफार्म के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को संचालित करने, विद्यार्थी प्रबंधन तथा विश्वविद्यालय कार्यों की व्यवस्था करने के संबंध में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रयोग करना, अनिवार्य होगा। उपरोक्त प्लेटफार्म पर दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में आवश्यक अन्य सूचनाओं, उनके प्रत्यायन तथा वर्ष–वार दाखिल किए गए विद्यार्थियों इत्यादि के साथ सांविधिक तथा अन्य अनुमोदनों के बारे में सूचनाओं को विविध प्रकार से आम जनता को सुलभ कराया जाएगा। इसे स्टेकहोल्डरों द्वारा उनके तहत/साथ रोजगार या अकादमिक उद्दश्यों के लिए डिग्रियों की मान्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए जब भी तैयार किया जाएगा तो एक राष्ट्रीय डाटाबेस के साथ जोड़ा जा सकता है।

(च) सभी विश्वविद्यालय/शिक्षा संस्थाएं, दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को संचालित करने/प्रदान करने के लिए ई–लर्निंग विषयवस्तु का इष्टतम उपयोग करेंगे। इन्हें परीक्षाओं को पूर्ण रूप से ईमानदारी से और पारदर्शिता से आयोजित करने हेतु ई–निगरानी प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

(छ) दूरस्थ शिक्षा, शैक्षिक रूप से वंचित स्थितियों जैसे कि दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और अपनी रूचि के अनुसार बिना पहुंच के या सीमित पहुंच वाले प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करने पर बल देगी।

(ज) लचीली एवं आवश्यकता आधारित अध्ययन व्यवस्था, रूचि–आधारित क्रेडिट पद्धति को प्रौन्नत करने के लिए और सभी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं को इस पद्धति को अपनाने और मुक्त या दूरस्थ प्रणाली से विद्यार्थियों द्वारा सफलतापूर्वक

पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने की स्वीकृति एवं क्रेडिट अन्तरण के लिए एक तंत्र शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ एक क्रेडिट बैंक की स्थापना पर विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार आमने–सामने पद्धति से कार्यक्रम प्रदान करने वाले परम्परागत विश्वविद्यालयों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा अर्जित श्रेयांक को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा को सेमिस्टर पद्धति में परिवर्तन करना अनिवार्य होगा।

(झ) दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाले मुक्त विश्वविद्यालयों/संस्थाओं सहित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय/पत्राचार पाठ्यक्रम कक्ष वाले परम्परागत विश्वविद्यालय मुक्त प्रणाली शिक्षण विभागों को परिवर्तन, दूरस्थ शिक्षा और परम्परागत मुक्त प्रणाली के अन्तराल को कम करेगा।

(ञ) अपने–अपने देश में स्थापित, मान्यता प्राप्त और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्यायित उन विख्यात विदेशी शिक्षा प्रदानकर्त्ता जो भारत में अपने शिक्षा कार्यक्रमों को प्रदान करने के इच्छुक हैं, को अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते कि देश की विधायी आवश्यकताएं पूर्ण होती हो।

(ट) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अन्तर्गत मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं का नेटवर्क बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना सृजित की जाएगी।

(ठ) ई–पुस्तकालय, डिजिटल डाटा–बेस, ऑनलाईन पत्रिकाएं कार्यशालाओं, सेमिनारों इत्यादि के नियमित आयोजन जैसी अवसंरचना की व्यवस्था करके मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति (ओ डी ई) में अनुसंधान के लिए सहायक वातावरण तैयार करने के प्रयास किए जाएंगे।

(ड) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और स्व–अध्ययन अभ्यास के प्रयोग पर बल देते हुए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में शिक्षाविदों और प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण और प्रबोधन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ढ) विकलांगता वाले पाठकों और वरिष्ठ नागरिकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ण) रोजगार के प्रयोजनार्थ दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा प्राप्त की गई शैक्षिक अर्हता को मान्यता देने के मुद्दे को स्पष्ट करने के एक सरकारी अधिसूचना, जारी की जाएगी।

(त) केन्द्र सरकार के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त करने और आगे शिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों के मूल्यांकन हेतु तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसमें डिग्री प्राप्तकर्त्ता की योग्यता की जांच करने के लिए यदि आवश्यकता हो तो संबंधित विश्वविद्यालय की प्रत्यायता का मूल्यांकन शामिल होगा।